संख्या:97/2022/1721/1392012/12-2099/111/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव**,** उद्यान विभाग**,** उ0प्र0 शासन।

2. समस्त जिलाधिकारी**,** उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉक: 30 नवम्बर, 2022

विषयः- भारत सरकार द्वारा भारत के 75**वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाये जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव- भारत** @75 **के अन्तर्गत दिनांक** 01 **दिसम्बर**, 2022 **से** 07 **दिसम्बर**, 2022 **तक चतुर्थ फसल बीमा सप्ताह के आयोजन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या-13017/05/2020-क्रेडिट-II-P1 (FTS:94351) दिनॉक-18 नवम्बर, 2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे ''आजादी **का अमृत महोत्सव**'' अभियान के अर्न्तगत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार करने, योजना के सम्बन्ध में कृषकों की जिज्ञासाओं का समाधान करने एवं योजना में कृषकों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 से 07 दिसम्बर, 2022 तक चौथे फसल बीमा योजना सप्ताह के आयोजन का निर्णय लिया गया है।

2. योजना के सभी हितधारकों के सहयोग से भारत सरकार द्वारा 75 सप्ताह के बनाये गये रणनीतिक कार्ययोजना के प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैः-

(1) चतुर्थ फसल बीमा सप्ताह के अर्न्तगत योजनान्तर्गत कृषकों की भागीदारी में तेजी लाने के उद्देश्य से रबी मौसम के अन्तर्गत माह दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह के रूप में मनाया जायेगा। बीमा कम्पनी, बैंक व जनसुविधा केन्द्रों के सहयोग से देश के चयनित 75 जनपदों के 75 विकासखण्डों में जहॉ पर बीमित कृषकों की संख्या कम है, विशेषकर आकांक्षी व जनजातीय बाहुल्य जनपदों के ब्लाकों का चयन करते हुए गहन अभियान चलाकर कृषकों की सहभागिता बढ़ायी जायेगी।

(2) इस अभियान के अन्तर्गत किसानों की सफलता की कहानी को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड किया जायेगा।

(3) भारत सरकार द्वारा राज्यों में संचालित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार आकांक्षी जनपद एवं जनजातीय बाहुल्य जनपदों को शामिल करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों की कम भागीदारी वाले देश के 75 जनपदों के 75 विकासखण्ड का चयन करते हुए वहॉ पर गहन प्रचार-प्रसार कर कृषकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में चयनित महत्वाकांक्षी 8 जनपदों एवं 100

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विकासखण्डों में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक कृषकों को योजना में सम्मिलित होने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

3. फसल बीमा सप्ताह के सफल संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी निदेर्शो के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा निम्नवत व्यवस्था की जा रही हैः-

(I) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरूरी संदेश का प्रसारण ऑडियो विज्यूवल और रेडियों के माध्यम से क्षेत्रीय चैनलों व स्थलीय आयोजन के रूप में किया जायेगा।

(II) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विशेष कार्यक्रम दूरदर्शन व ऑल इण्डिया रेडियो चैनल पर प्रसारित किये जायेंगे।

(III) क्षेत्रीय समाचार पत्रों में क्षेत्र के लाभार्थी कृषकों की सफलता की कहानी पर प्रेस विज्ञप्ति प्रसारित की जायेगी।

(IV) फेसबुक ट्वीटर इत्यादि सोशल मीडिया के माध्यम से ई-संवाद का आयोजन किया जायेगा, जिसमें कृषकों की शंकाओं के समाधान को प्रमुखता दी जायेगी।

(V) जनपद व ब्लाक स्तर पर फसल बीमा गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली गोष्ठी में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारी, बैंक के अधिकारी, बीमा कम्पनी के अधिकारी एवं जनसुविधा केन्द्रों के जनपद स्तरीय अधिकारी तथा सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। विकासखण्ड स्तर पर आयोजित गोष्ठियों में उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, कृषि, उद्यान, जनसुविधा केन्द्रों के अधिकारियों के साथ-साथ वी0एल0ई0 एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी प्रतिभाग करेंगें और आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करेंगें।

(VI) उक्त गोष्ठियों में यथा संम्भव क्षेत्रीय मा0 सांसद, मा0 विधायक के साथ अन्य मा0 जनप्रतिनिधि एवं ग्राम प्रधान को आमंत्रित किया जाय। जनपदों में आयोजित होने वाली गोष्ठियों हेतु उप कृषि निदेशक द्वारा तैयार किये जाने वाले क्षण प्रतिक्षण कार्यक्रमों में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया जायेगा:-

(क) उप कृषि निदेशक द्वारा जनपद की स्थिति से अवगत कराया जायेगा।

(ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर तैयार फिल्म का प्रदर्शन किया जायेगा।

(ग) फसल बीमा पर बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा विस्तृत जानकारी दी जायेगी।

(घ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर किसानों की शंकाओं का समाधान मौके पर उप कृषि निदेशक/बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा।

(VII) गोष्ठियों में जनपद से 05 कृषक जिनको फसल बीमा योजना के अर्न्तगत क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है, को सम्मानित किया जायेगा। इनमें 03 कृषक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सम्बन्धित, 01 कृषक पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना से सम्बन्धित एवं 01 महिला कृषक को चयन करने का प्रयत्न किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त योजना में अच्छा कार्य करने वाले एक बैंक शाखा के प्रतिनिधि, जनसुविधा केन्द्र के प्रतिनिधि एवं एक-एक कृषि एवं उद्यान विभाग के कार्मिक का चयन करते हुए उन्हें भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(VIII) सम्मानित होने वाले कृषकों का वीडियो तैयार कराकर जनपद में योजना के प्रचार-प्रसार में उसका उपयोग किया जायेगा।

(IX) जनपद स्तर पर उन न्यायपंचायतों की सूची तैयार की जायेगी जहॉ पर कम या शून्य बीमा हुआ है। इन न्यायपंचायतों में किसान बीमा पाठशाला का आयोजन करते हुए खरीफ 2022 मौसम में बीमा कवर से आच्छादित कृषकों को खरीफ-2022 की बीमा पालिसी का वितरण किया जायेगा। अवशेष कृषकों को पालिसी डाक द्वारा वितरित की जायेगी।

(X) बीमा कम्पनियों के द्वारा ग्राम पंचायत भवनों पर उस ग्राम पंचायत से सम्बन्धित रबी 2021-22 में लाभान्वित कृषकों की सूची चस्पा करायी जाय तथा सम्बन्धित बैंक शाखाओं एवं जनसुविधा केन्द्रों पर बैनर, पोस्टर एवं पम्पलेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाय।

(XI) प्रचार-प्रसार मुख्यतया कृषकों को योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने, योजना के प्रति उत्पन्न जिज्ञासाओं के निराकरण करने एवं योजना में बैंको व जन सुविधा केन्द्रो के माध्यम से अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित करने पर केन्द्रित होगा।

(XII) प्रचार-प्रसार में ग्राम प्रधान का भी सहयोग प्राप्त किया जाय। कृषकों के द्वारा उठाये गये जिज्ञासाओं का निराकरण यथासमय तत्काल कराने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जाय। अभियान अवधि में बैंक शाखाऐं एवं जनसुविधा केन्द्र के अधिकारियों द्वारा कृषकों के पंजीकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

(XIII) जनपद में कार्यक्रम स्थल का चयन उप कृषि निदेशक द्वारा बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के सहयोग से किया जायेगा। न्यायपंचायतों का चयन बीमित कृषकों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में किया जायेगा। अन्य न्याय पंचायत को चयनित न्यायपंचायतों से दूरी के हिसाब से सम्मिलित किया जायेगा।

(XIV) जनपद के उप कृषि निदेशक बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के सहयोग से प्रचार-प्रसार हेतु अभियान अवधि के कार्यक्रम को निर्धारित करते हुए उसकी एक प्रति निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा को उपलब्ध करायेगें एवं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभियान को सफल बनाने के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही करेंगें।

(XV) समस्त कार्यो का सम्पादन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद में नामित नोडल अधिकारी, उप कृषि निदेशक द्वारा किया जायेगा जिला कृषि अधिकारी एवं जिला उद्यान अधिकारी इस कार्य को समयान्र्तगत सम्पन्न कराने हेतु सहनोडल के रूप में कार्य करेंगे। प्रदेश में आयोजित होने वाले उक्त अभियान की पर्यवेक्षण/समीक्षा शासनादेश संख्या-866/12-2-2019-60(14)/2017, दिनॉक 19.03.2019 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समिति द्वारा किया जायेगा और इसके सफल संपादन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कृपया जनपद स्तर पर निर्धारित कार्य योजना के अनुसार अपने-अपने विभागीय अधिकारियों और राज्य कर्मियों को इस अभियान में प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें। जिससे इस अभियान के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-97/2022/1721/1392012/12-2099/111/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (PMFBY), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. श्रीमती कामना आर0 शर्मा, उपायुक्त, क्रेडिट-II, भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), 11-विपिनखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
8. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC), बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, विभूतिखण्ड, लखनऊ।
9. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सप्रू मार्ग, लखनऊ।
11. संयुक्त कृषि निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
12. उप कृषि निदेशक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
13. जिला कृषि अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, उद्यान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
15. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0, पंचम तल, जीवन भवन फेस-2, नवल किशोर रोड, लखनऊ।
16. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एच0डी0एफ0सी0-एरगो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
17. क्षेत्रीय प्रबन्धक, इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0, 3-गोखले मार्ग, लखनऊ।
18. प्रबन्धक, यूनीवर्सल सोमपो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
19. प्रबन्धक, कामन सर्विस सेन्टर (CSC), 2/496, विजयखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in